

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक फा. 15 (7)सविरा/नियम/जनरल सेवा नियम/89 पार्ट-7


दिनांक ७-१८-२०१५

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.06.13 द्वारा विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों का एक से दूसरी संस्था में सेवा हस्तान्तरण/प्रतिनियुक्ति हेतु नार्गदर्शक विन्दु निर्धारित किए गए थे। उक्त आदेश दिनांक 06.06.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए उसके विन्दु संख्या 12 के पश्चात् एक नया विन्दु संख्या 13 निम्नानुसार अंतर्स्थापित किया जाता है:-

"संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए एक संस्था से दूसरी संस्था में सेवा हस्तान्तरण संबंधी यह दिशा निर्देश दो संस्थाओं के कर्मचारियों के पारस्परिक सहमति के आधार पर परस्पर सेवा हस्तान्तरण पर भी लागू होंगे।

परन्तु शर्त यह है कि पारस्परिक सहमति के आधार पर परस्पर सेवा हस्तान्तरण समान केड़ेर एवं समान वर्ग (यथा सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि) में ही किया जा सकेगा।


(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
रजिस्ट्रार

क्रमांक फा. 15 (7)सविरा/नियम/जनरल सेवा नियम/89 पार्ट-7
दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर।
4. प्रबन्ध संचालक, शीर्ष संस्थायें (समस्त)।
5. फंक्शनल अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय (रामरत)
6. अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां खण्ड (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त आदेश अपने कार्यक्षेत्र में स्थित समरत सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
7. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां इकाई (समस्त)
8. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
9. गार्ड पत्रावली।


संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम)